

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसंपत्तियां/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सूचित की गयी परिसंपत्तियां अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।।


उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 साप्ताहिक त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-
प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 21/01/18

ज्ञापक:- 417

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय / सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल) /
सैबा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रबंध निदेशक